न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 28/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/31)

1. मुश्ताक पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
2. रामेश्वर पुत्र नानू दास जाति कामड़ साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
3. अब्दुल हक पुत्र जमालदीन जाति मुसलमान साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
4. बनवारी पुत्र शंकरदास जाति कामड साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।
5. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति नाई साकिन गन्धेली तहसील रावतसर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत चक 25 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर
2. राजस्थान सरकार
3. सादिक खान पुत्र फुले खान
4. बंशीर खान पुत्र वली मोहम्मद
5. रमजान खां पुत्र हारून खान
6. याकूब खां
7. लियाकत पुत्र सहाबदीन
8. धनपत पुत्र रूपराम मेधवाल
9. बाबू खां पुत्र लादू खां
10. युनुस वल्द अमीन खान जाति मुसलमान

सभी निवासी गधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 10
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 06.06.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा दिनांक 16.10.2019 को जिला कलक्टर हनुमानगढ को चक गंधेली बारानी ग्राम पचायत 25 आर.डब्ल्यूडी.में हड्डारोड़ी हेतु भूमि आरक्षित/आवटन करने का प्रस्ताव भिजवाया जो

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तहसीलदार रावतसर से बाद अभिशंषा प्राप्त हुआ था। जिस पर जिला कलक्टर हनुमानढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा तहसील रावतसर की ग्राम पंचायत ग्राम पचायत 25 आर. डब्ल्यूडी.(लालपुरा) के चक गधेली बारानी के प. नं. 55/24 मु. न. 538 के किला नं. 1/1 की 0.227 हैक्टर व किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर कुल 0.480 हैक्टर बारानी भूमि को पंचायत गंधेली के लिए हड्डारोड़ी हेतु आरक्षित कर पूर्व मे आरक्षित हड्डारोडी हेतु आरक्षित पंचायत गंधेली के चक 30 आर डब्ल्यू डी के प. नं. 218/438 (25) किला नं. 4, 5, 6 तथा 7 की कुल 1.012 हैक्टर भूमि को अराजीराज कर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि आज से 35 वर्ष पूर्व गन्धेली के चक 30 आर.डब्ल्यू.डी. मे मृत पशुओ को डालन के लिए हड्डारोडी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि आरक्षित की गई थी। उस समय भूमि चक से बाहर थी तथा आस पास कोई आबादी नही थी। बाद में ग्रामवासियो न उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जे करके मकान बना लिये तथा स्कूल बनाया गया। हाड्डारोडी आरक्षित होते समय वहा अगर स्कूल होता या आबादी होती तो चक 30 आर. डब्ल्यू.डी. में 35 वर्ष पूर्व हड्डारोडी हेतु आवटन नही होती। अब नाजायज कब्जाधारियो द्वारा ग्राम सरपंच गन्धेली को बहला फुसला कर जिला कलक्टर हनुमानगढ को उक्त हड्डारोडी के स्थान पर अन्यत्र बनाये जाने की मांग करवा दी। सरपंच ने बिना पंचो की सहमति व बिना प्रस्ताव के हड्डारोडी हेतु आरक्षित की मांग की। जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा कोई जाच अपने स्तर पर नही की गई ना ही ग्राम वासियो को सुना गया। ग्राम 25 आर.डब्ल्यू.डी. के वाशिन्दो ने आपत्ति पेश की थी। हल्का पटवारी ने दिनांक 20.02.2020 को रिपोर्ट पेश की जो जिला कलक्टर हनुमानगढ को दी गई एवं कथन किया था कि सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार है तथा प्रकरण आज भी जैरकार है। चक 25 आर.डब्ल्यू.डी. के सरपंच ने अपील न्यायालय में लिखित

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जवाब पेश किया था कि ग्राम वासियो को आपत्ति है तथा मौके पर मंदिर बने हुए है तथा प्रार्थना सभा के लिए भवन बना हुआ है तथा लोग ढाणीयो बनाकर खेतों में निवास भी कर रहे है। जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है क्योकि जिस सैक्शन व कानून का हवाला दिया है उनमे हाडारोडी बाबत आदेश नही है। सैक्शन 92 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट में स्पष्ट है कि मात्र चारागाह व आबादी बाबत ही जिला कलक्टर को अधिकार है अगर हाडारोडी या आरक्षण बाबत भूमि चाहिए तो राज्य सरकार की अनुमति ली जानी आवश्यक है। जिला कलक्टर ने आदेश मे सेक्शन 10 कोलोनाईजेशन रूल्स व कन्डीशन का हवाला दिया है। जिसमे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर राज्य सरकार के गजट में भूमि का प्रकाशन करवाने के बाद ही कोई आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार जिला कलक्टर का आदेश अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.10.2021 निरस्त फरमावे तथा पूर्व से हाडारोड़ी हेतु आरक्षित भूमि यथावत रखी जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 10 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत 25 आर.डब्ल्यूडी. गंधेली में ही स्थित है। सभी मोहल्ले वासियो द्वारा ही 25 आर.डब्ल्यूडी. में प्रार्थना पत्र हड्डा रोडी हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी जगहो की स्थिति लेकर 25 आर.डब्ल्यूडी. में हड्डा रोडी हेतु आरक्षित किया गया है। जो दोनो गांवो के सेंटर पॉइन्ट में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो भूमि हड्डा रोडी हेतु आरक्षित की गई है वो गांव से 500 मीटर की दूरी पर है, यानी आधा किलोमीटर दूर है। केवल दो मकान बने हुए है। ढाणी वाले भी बहुत दूर है। वर्तमान हड्डा रोडी के पास स्कूल होने के कारण विपरित असर पड़ रहा था। इसके लिए काश्तकार ने खुद अपनी भूमि हड्डा रोडी के लिए सरेन्डर की है। रास्ता संबंधी अगर परेशानी है तो उसे ठीक किया जा सकता है। सैक्शन 92 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट में आवश्यक कार्यवाही हेतु/सार्वजनिक कार्य में जिला कलक्टर को आदेश पारित करने के अधिकार है। हड्डारोडी आदेश पारित करना एक सार्वजनिक कार्य है। जिला कलक्टर द्वारा जो आदेश पारित गया है वो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
सीकर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके माध्यम से जिला कलक्टर हनुमानगढ़ ने चक 25 आर. डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 55/24 मु. नं. 538 के किला नं. 1 व 2 की कुल .480 हैक्टेयर भूमि को हड्डारोड़ी हेतु आरक्षित किया है। पूर्व में हड्डारोड़ी हेतु आरक्षित भूमि चक 30 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 218/438 (25) किला नं. 4,5,6 व 7 की कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि को अराजीराज कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की है। अपीलान्ट का कथन है कि जो नवीन स्वीकृति की गई है उस हड्डारोड़ी के आस–पास अपीलान्ट आबाद है तथा इस सम्बन्ध में सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर में अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र 62/2019 को सिविल न्यायाधीश रावतसर द्वारा दिनांक 01.11.2019 को खारिज किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 नोहर में प्रस्तुत दीवानी अपील सं. 38/2019 को आदेश दिनांक 11.02.2020 के द्वारा खारिज किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका 3597/2020 प्रस्तुत की गई जो कि निर्णय दिनांक 04.09.2020 को खारिज की है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत स्थगन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र को माननीय उच्च न्यायालय तक खारिज किया जा चुका है। तथा इस अपील में उठाए गए सभी मुद्दों पर माननीय सिविल न्यायालय के विस्तृत ओबजर्वेशन आ चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होते है।

अति. संभागीय आयुक्त
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।